

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3156 / 2024


दिनांक 23.09.2024

श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) को दिनांक 12.08.2024 से 16.08.2024 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 09.08.2024 से 11.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री बैदाड़ा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/33/2019/ 7535

दिनांक 23.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 3636 दिनांक 21.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री आशीष बैदाड़ा (RJ01246), न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)
4. न्यायाधारी ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा (उदयपुर)।

  
सहायक रजिस्ट्रार